(4)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. सागर केम्प सागर संभाग सागर (म.प्र.)

रा.पु.नं. निगरानी 4195-I-14

पे.ता. 20/11/14

लक्ष्मीबाई पति तुलई अहिरवार सा. बोतराई पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

..........................आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

डालचंद्र बल्द जनकू अहिरवाल सा. नोरू तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

..........................अनावेदक/उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

अधिनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् तहसीलदार महो. पथरिया जिला दमोह म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12अ/6 वर्ष 13–14 पक्षकार डालचंद्र बल्द जनकू बनाम लक्ष्मीबाई पति तुलई में जारी विवादित नामांतरण कार्यवाही में की जा रही अनियमित कार्यवाही और उसमें पारित अवैधानिक आदेश दिनॉक 11/11/14 से पीडित व दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है।

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करती है–:

1. यहकि विद्वान अधिनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् तहसीलदार पथरिया द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने कानून एंव प्रक्रिया की गंभीर भूल की गयी है।
2. यहकि विवादित नामांतरण प्रकरण क्रंमाक 12अ/6 वर्ष 13–14 में सभी हितवद्ध पक्षकारों को संयोजित किये बिना और उन्हे सूचना दिये बिना उक्त नामांतरण कार्यवाही की जा रही है जो प्रथम दृष्टया ही अनियमित और प्रक्रिया के विपरीत है।
3. यहकि राजस्व अभिलेख में दर्ज मौजा नोरू के ख.नं. 236 रकवा 0.53 हेक्टे की भूमिस्वामी नन्नीबाई पति रामदीन का स्वर्गवास दिनॉक 11/02/14 को निःसंतान स्थिति में तहसील पथरिया जिला दमोंह के ग्राम बोतराई में होने का प्रमाणपत्र अभिलेख पर होने के बाबजूद बोतराई में इश्ताहार जारी नही किया गया है और न ही उक्त ग्राम के पटवारी से कोई प्रतिवेदन लिया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भूमिस्वामी से संबधित दोनों ग्रामों के हल्का पटवारियों से प्रतिवेदन लिया जाना था।

B.O.R.
20 NOV 2014

156
02-12-14

8-12-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4195—एक / 14 जिला दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
06—01—15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । 2— यह निगरानी तहसीलदार तहसील पथरिया जिला दमोह के प्रकरण कमांक 12 / अ—6 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 11—11—2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3— तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण वसीयत के साक्षी हेतु नियत किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	